संख्या-2/2021/ए-2-290 /दस-2021/10/09/2021

प्रेषक,

एस0राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (लेखा)अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 02 जुलाई, 2021

विषय:- अस्थाई पदों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-797/दस-87-24(12)-86, दिनांक 25-05-1987 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निश्चित प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी पदों को स्थायी करने के अधिकार प्रशासनिक विभागों को प्रतिनिहित किये जा चुके हैं। उक्त शासनादेश से स्पष्ट है कि जो भी पद 03 वर्ष से पूर्व वित्त विभाग की सहमति से सृजित किये गये हैं और वर्षानुवर्ष उनकी निरन्तरता जारी की गयी है उन्हें यदि शासनादेश की अन्य शर्तों के कारण स्थायी किये जाने में कोई बाधा नहीं है तो प्रशासकीय विभाग द्वारा उनका स्थायीकरण कर दिया जाय। शासनादेश की उक्त व्यवस्था के बावजूद भी यह देखा जा रहा है कि विभागों में कई वर्षों से अस्थायी पद चल रहे हैं और प्राय: इनकी निरन्तरता सम्बन्धी पत्रावलियॉ वित्त विभाग को इसलिये संदर्भित होती रहती हैं क्योंकि प्रशासकीय विभाग द्वारा न तो इनका स्थायीकरण किया गया है और न ही इनकी नियमित रूप से निरन्तरता जारी की गयी है। यह स्थिति उचित नहीं है क्योंकि इससे वित्त विभाग में पत्रावलियों की संख्या अनावश्यक रूप से बढ़ती है।

2- अत: उपर्युक्त वर्णित स्थिति में आपसे यह अनुरोध है कि कृपया अपने विभाग के अस्थाई पदों के संदर्भ में प्राथमिकता के आधार पर निम्नवत कार्यवाही कराने का कष्ट करें:-

(1) यह सूचना एकत्र कर ली जाय कि विभाग में वर्तमान में कुल कितने अस्थायी पद हैं तथा यदि इनका स्थायीकरण उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25-05-1987 के अधीन किया जा सकता है तो स्थायीकरण तत्काल कर दिया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) ऐसे अस्थायी पद जो लम्बी अवधि से चले आ रहे हैं (03 वर्ष से अधिक) और उनकी विभाग में आवश्यकता नहीं है, उनकी निरन्तरता जारी किया जाना बन्द कर दिया जाय और उन्हें समाप्त कर दिया जाय।

(3) ऐसे पद जो 03 वर्ष से अधिक समय से अस्थायी चल रहे हैं और किसी कारण से उनकी निरन्तरता नियमित रूप से जारी नहीं हुई है उनकी पूर्व की निरन्तरता पर कार्योत्तर स्वीकृति/सहमति का प्रस्ताव जब वित्त विभाग को संदर्भित किया जाय तो यह भी अवगत कराया जाय कि अब वह विभाग के लिये क्यों आवश्यक हैं तथा क्यों न इनको समाप्त किये जाने पर विचार किया जाय।

भवदीया,

एस0राधा चौहान
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।